I/2576/2024

सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A4-167 (P-II)/2021

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 27 नवम्बर, 2024

महोदय,

कृपया वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा एफीलियेशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण संख्या–230610105555 दिनांक 07.09.2024 एवं तत्क्रम में कुलसचिव द्वारा प्रेषित आख्या पत्र संख्या : 1165 दिनांक 05.07.2024 एवं पत्र संख्या : 1892 दिनांक 07.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **जगन्नाथ विश्वा लॉ कालेज, माजरीग्रान्ट, देहरादून** को एल0एल0बी, बी0ए0–एल0एल0बी0 एवं एल0एल0एम0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति एवं कुलसचिव–वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन प्रश्नगत संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्र हित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या (प्रति सत्र)	शैक्षिक सत्र
01	जगन्नाथ विश्वा लॉ कालेज, माजरीग्रान्ट, देहरादून।	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	120 सीट	2023–24
		बी0ए0–एल0एल0बी0 (पांच वर्षीय)	120 सीट	
		एल0एल0एम0 (एक वर्षीय)	30 सीट	

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत संस्थान से शैक्षिक सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 27/11/2024 02:16 pm

I/2576/2024

विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Signed by Swati S Bhadauria
Date: 27-11-2024 12:03:40

भवदीया,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2576 /जी0एस0(शिक्षा)/ **A4-167 (P-II)** / 2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्धक/निदेशक–सम्बन्धित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जी0डी0 नौटियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 27/11/2024 02:16 pm